लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण

विषय:– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत् Datima Underground Coal Mining for Production capacity of 0.36 MTPA/0.54 MTPA (Narmative/Peak) in the ML Area of 807.91 ha of M/s Shree Cement Limited located at village- Rai in taluka Bhatgaon, Village-Datima & Kharsura in Taluka Surajpur, Village-Kumda & Laxmanpur in Taluka Latori, District-Surajpur (C.G.)के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17/06/2025 को समय प्रातः 11:00 बजे ग्राम–दतिमा, तह.–सूरजपुर स्थित जम्बूरी मैदान में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 यथा (संशोधित) के परिपालन में सूचना का प्रकाशन दिनांक 16/05/2025 को राष्ट्रीय स्तर पर दैनिक समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली संस्करण एवं 16/05/2025 को एक क्षेत्रीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर के बिलासपुर संस्करण में कराई गयी। साथ ही लोकसुनवाई की सूचना को बोर्ड के वेबसाईट पर enviscecb.org के पब्लिक कंसल्टेंट के बिंदु क्रमांक **718** पर अपलोड कर प्रदर्शित किया गया। तदानुसार लोकसुनवाई दिनांक 17/06/2025 को समय प्रातः 11:00 बजे से ग्राम–दतिमा, तह.–सूरजपुर स्थित जम्बूरी मैदान में आयोजित की गई।

ई.आई.ए. अधिसूचना 14/09/2006 के प्रावधानो के अनुसार प्राप्त ई.आई.ए. रिपोर्ट, एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सुरजपुर, जिला–सूरजपुर, खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), सूरजपुर, जिला–सूरजपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत–राई, तह.–भटगांव, दतिमा, खरसुरा, तह.–सूरजपुर एवं कुम्दा, ग्राम लक्ष्मणपुर, ग्रामपंचायत गांगीकोट, तह.–लटोरी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, तह.–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई थी।

उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति/सुझाव/विचार एवं टीका– टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, तह.–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोकसुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, तह.–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति/सुझाव/विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई। उक्त परियोजना के लोकसुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 17/06/2025 को समय प्रातः 11:00 बजे से अपर कलेक्टर सूरजपुर, जिला–सूरजपुर की अध्यक्षता/पर्यवेक्षण में स्थान–जम्बूरी मैदान, ग्राम–दतिमा, तह.–सूरजपुर (छ.ग.) में लोकसुनवाई समय–दोपहर 11:15 (15 मिनट का अतिरिक्त समय जन समुदाय को दिया गया) की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्व प्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर द्वारा लोकसुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, ई.आई.ए. अधिसूचना 14/09/2006 यथा (संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोकसुनवाई के महत्तव एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसल्टेंट डॉ0 मारिषा शर्मा द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई। तदोपरांत अपर कलेक्टर सूरजपुर, जिला–सूरजपुर द्वारा लोकसुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोकसुनवाई से संबंधित विषय पर अपने आपत्ति/सुझाव/विचार एवं टीका–टिप्पणियां मौखिक/लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव/विचार एवं टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वक्ता का नाम	पता	कथन
1.	श्री दीलीप कुमार वर्मा (राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक)	ग्राम–खम्हरिया	आज जो दतिमा कोल माईन्स का जो लोकसुनवाई रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। मैं स्वागत एवं समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि दतिमा कोल माईन्स आने से इस क्षेत्र के ग्राम के तालुका एवं आस–पास के 10 किमी0 के बरोजगार युवा साथियों को रोजगार दिया जायेगा। जैसे संयंत्र प्रबंधक ने बोला 358 बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा। मैं चाहता हूं और मांग करता हूं कि ये आस–पास के क्षेत्र के 358 के 358 बेरोजगार युवा को रोजगार दिया जाये। साथ ही

अपर कलेक्टर

			साथ खदान आने से आप यहां का कोयला तो निकाल लेंगे, लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं होता है। यहां जितना भी कोल माईन खुला है वहां विकास उस स्थिति से नहीं हुआ है तो मैं शासन से और संयंत्र प्रबंधन से मांग करता हूं कि जो सी.एस.आर. मद होता है जिसमें लाभांश का 02 परसेंट विकास का अधिकार क्षेत्र का है, क्षेत्र के गांव का है, जहां आपका खदान चल रहा है वहां का है, यहां काम कराया जाये न कि अम्बिकापुर में। क्षेत्र में रोजगार मिलना चाहिए, क्षेत्र में विकास होना चाहिए। साथ ही साथ जो डीएमएफ मद होता है जिसका 10 परसेंट दिया जाता है वो कलेक्टर के पास जाता है उसका भी उपयोग क्षेत्र में होना चाहिए, क्षेत्र के विकास में होना चाहिए। जय हिन्द, जय भारत।
2.	श्री भूषण बघेल	ग्राम–दतिमा	मैं आज श्री सीमेंट कम्पनी के जो भी अधिकारी आये हूये है उनसे मै अपना पक्ष एवं अपने क्षेत्रवासियों का पक्ष रखने आया हूं। हमारे क्षेत्र में जो 05 ग्राम पंचायत है, ग्राम–दतिमा, ग्राम–राई, ग्राम–खरसुरा, ग्राम–लक्ष्मणपुर, ग्राम–गांगीकोट। यहां सभी ग्राम के जनप्रतिनिधि एवं मुखिया आये हूये है। हमारी दो दिन पूर्व बैठक हूई बैठक में निर्णय लिया गया और ग्रामवासी भी उपस्थित थे। श्री सीमेंट कम्पनी खदान खोलना चाहती है उनका पक्ष हम लोग सुन लिये लेकिन हमारा भी पक्ष सामने वाला सुने, तो उस स्थिति में हम लोग द्वारा बैठक किया गया, बैठक में पांचो पंचायत के मुखिया यहां बैठे है, सभी का मंशा है कि यहां कोई भी खदान न खुले। यहां पूर्व में भी खदान खुला, पटना में भी खदान खुला, कोई भी कम्पनी वादा करती है तो 100 परसेंट वादा नहीं निभाती है, यह तय है और सभी लोग जानते है, किसी से छुपा हुआ नहीं है और हमारे क्षेत्र वासियों का कहना यह है कि हम खदान खुलने की अनुमति नहीं देगें। हमारे संविधान में पेशा कानून लागू हुआ है पेशा कानून में हमारे अनुसूचि क्षेत्र और 5वीं अनुसूचि क्षेत्र है बस्तर, सरगुजा, बीजापुर, कोण्डागांव है उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव अनुमति लेना जरुरी होता है। ग्राम पंचायत के सरपंचो के अनुमति के बिना ये खदान अगर खुल रही है तो ये दबाव पूर्वक है। मैं निवेदन करता हूं सभी पंचायतों से आप अनुमति ले लें, उसके बाद ही खदान खोलें। अगर एक भी पंचायत खोलने

अपर कलेक्टर

			की अनुमति नहीं देता है तो हम लोग इस क्षेत्र में खदान खोलने की अनुमति नहीं देगें। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है और पूरे क्षेत्रवासियों एवं पांचो पंचायत के सरपंचों का विचार है। हम मौखिक और लिखित विरोध कर रहे है। इस क्षेत्र में खदान नहीं खोलने की हमारी मांग है।
3.	श्री देवकरण सिंह सरपंच	ग्रामपंचायत– गांगीकोट	हमारी कुछ आपत्तियां है चुंकि हमारा यह क्षेत्र पहली बार खदान खुलने नहीं जा रहा है इससे पहले भी एस.ई.सी.एल. का खदान सन् 1990 से खुला हुआ है। एस.ई.सी.एल. का खदान खुलने के बाद उनके द्वारा बहुत से वादे किये गये थे लेकिन आज भी वो वादे हुये नहीं। चाहे वो सीएसआर मद का मामला हो य दूसरे फण्ड का मामला हो हमारे यहां कोई काम नहीं हुआ है। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जवाबदेही है। यहां बगल में कमलापुर में अण्डरग्राउण्ड खदान खुला हुआ है, हम लोग यंही के निवासी है, 05 फीट धंस गया है। आज यहां खदान खुल जाता है और खदान खुलने के बाद 10 या 20 साल के बाद जमीन धंस जाता है तो उसकी जावबदारी किसकी होगी। एस.ई.सी.एल. द्वारा ग्राम– कमलापुर में जमीन अधिग्रहण करने के पश्चात् कुम्दा बस्ती में उन लोगों को विस्थापित किया गया। लेकिन आज भी वह जमीन उस किसान के नाम पर अभी भी है। उनके पास ऋण पुस्तिका है। उन लोग विवाद करते है विस्थापित ग्रामवासियों के साथ। वैसे परिस्थति न आये। दूसरा बात यह है कि वाटर लेबल की बहुत बडी समास्या है। हमारे यहां बहुत कम मात्रा में कुंए है उनका तो अस्तित्व ही खतम हो जायेगा। जब वाटर लेबल नीचे हो जायेगा तो न हमारा बोरबेल सक्सेस होगा न ही नलकूप सक्सेसफुल होगा। पानी की बहुत बढी समस्या रहेगी। वायु की गुणत्ता पर प्रभाव पडेगा। तापमान में बढोत्तरी होगी। 40 से 45 डिग्री रहता है गर्मी में खदान खुलने के बाद तापमान मे भी बढोत्तरी होगी। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग खदान का विरोध करते है।
4.	श्री शंकर प्रसाद राजवाड़े, वार्ड पार्षद	ग्राम–दतिमा	जैसा की आज श्री सीमेंट कम्पनी द्वारा ग्राम दतिमा में कोल ब्लॉक खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। जब कहीं भी कोल ब्लॉक खुलता है तो उसके बहुत सारे हानि होते है। जैसे जल प्रदूषण

अपर कलेक्टर
जिला–सरगुजा

			होता है खदान से जब पानी निकलता है तो अम्लीय होता है, रसायन युक्त होता है और यह पानी आस–पास के नालो में खेतों में बहाया जाता है जिससे क्षेत्र की मिट्टी प्रदूषण हो जाती है और उपलाउ शक्ति घट जाती है, वहां के वन्य जीव जो भी नदी–नाले के पानी पीते है रोग से ग्रसित होकर मर जाते है। जल संकट का प्रभाव होता है जेसे खदान अण्डरग्राउण्ड माईन्स होता है जल का रिसाव नीचे हो जाता है और बोरवेल एवं कुंए का पानी बिल्कुल शुन्य हो जाता है और वैसी समास्या जहां–जहां कोल माईन्स है वहां टैंकरों में पानी लाकर के प्याउ जल की सुविधा दी जा रही है। हमारे दतिमा में ऐशा संकट न आये इसलिए हम खदान खुलने का घोर विरोध करते है और हम इसका बहिस्कार करते है।क्योंकि सरगुजा एक भुकम्प जोन है और यहां अन्दर से कोयला निकाल लिया जायेगा तो यहां अन्दर खोखला हो जायेगा। यहां हल्का–फुल्का भूकम्प आते रहता है जिसके कारण पृथ्वी फटने की आशंका है और जब पृथ्वी फटेगी तो अन्दर से हानिकारक गैसों का रिसवा होगा। जिसके कारण आस–पास वायु प्रदूषण हो जायेगा और उस जहरिली गैस के कारण आस–पास के जनता को बहुत संकट का सामना करना पडेगा। ग्लोबल वर्मिंग बहुत बडी समस्या रही है देश की । जैसे कोयला का रख–रखाव किया जायेगा, गर्मी के दिनों में कोयला में आग लग जाता है। आस–पास में भारी वाहनों का अवागमन होगा, जिससे हमारे क्षेत्र की ग्लोबल वर्मिंग बढ जायेगी। जिससे आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड सकता है। कोयला खदान से कोयला यहां से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जायेगा तो भारी वाहन से रोड धंसने लगेगा, रोड फटने लगेगा। यह आबादी वाला क्षेत्र है और हम नही चाहते है कि हमारे यहां के जनता को किसी भी प्रकार से असुविधा हो। इसलिए मैं पुनः इस खदान को खुलने का विरोध करता हूं।
5.	श्रीमती पिंकी सिंह सरपंच	ग्राम–दतिमा	मैं श्री सीमेंट कोयला खदान खुलने से असमर्थ हूं और ग्राम पंचायत दमिता वासियों का भी यही कहना है कि कोयला खदान नही खुलना चाहिए। हम लोग इसके विरुद्ध है।

6.	श्री आदित्य कुमार सरपंच पति	ग्राम–दतिमा	श्री सीमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में ये कहना चाहुंगा कि हमारे क्षेत्र में श्री सीमेंट कंपनी लिमिटेड का घोर विरोध है। इससे हमको अनेको प्रकार के कठिनाईयों का सामना करना पड सकता है जिसका हमारे ग्राम पंचायत दतिमा के द्वारा घोर विरोध किया जाता है। हमारे ग्राम पंचायत में 14/06/2025 को एक विशेष ग्रामसभा आयोजित किया गया था। जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि हम खदान नही खुलने देगें तो नहीं खुलने देगें। खदान नही खुलने देगें
7.	श्री सुशील राम सरपंच पति	ग्राम–रांई	मेरे गांव एवं मेरे तरफ से श्री सीमेंट खदान का हम विरोध करते है। खदान खुलने से हमें और हमारी जनता को अनेक प्रकार के परेशानियों का सामना करना पडेगा। जिसे आने वाली पीढ़ी का भी झेलना पडेगा।
8.	श्री धमेन्द्र सिंह सरपंच पति	ग्राम– खरसुरा	ये खदान खुलने के लिए असमर्थ है। खुलने नहीं देना चाहता हूं।
9.	श्री रामनारायण जायसवाल	ग्रामपंचायत–दतिमा, ग्राम–लक्ष्मणपुर	आज यह बैठक कोल माईन खुलने या न खुलने के संबंध में बैठक बुलाई गई है। लगभग 02 माह पूर्व इस संबंध में चर्चा हेतु हमारे सूरजपुर के माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदया, कोल माईन के प्रतिनिधि और ग्राम पंचायतों के प्रमुखों के साथ एक बैठक बुलवाई थी। उस समय चर्चा हुई थी। कोल माईन के द्वारा यह बातया गया कि कोल माईन में हम 500 फीट नीचे से कोयला उत्पादन करेगें और कम्पनी के द्वारा किसी भी प्रकार का नौकरी देने का प्रावधान नहीं है और खदान का हम 15 वर्ष तक ही उत्पादन करेगें।ये माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदया के सामने ये बात हुई थी। मैं श्री सीमेंट कंपनी और यहां बैठे जिला प्रशासन ये प्रश्न रख रहा हूं, क्या 500 फीट नीचे से कोयला का उत्पादन किया जा सकता है? और यह संभव हुआ भी तो उसका निरीक्षण कौन करेगा। कैसे पता चलेगा कि ये 100 फीट से कोयला निकाल रहे है कि 500 फीट से निकाल रहे है कि 200 फीट से निकाल रहे है। इसकी जानकारी हम लोगों को कैसे दी जायेगी। दूसरी बात कम्पनी द्वारा अधिग्रहण भूमि का किसी भी प्रकार का मुआवजा का प्रावधान नहीं है। यह क्षेत्र कम वर्षा का क्षेत्र

कलेक्टर सूरजपुर

			माना जाता है। प्रभावित प्रत्येक गांव में 150–200 ट्यूबवेल संचालित है। पेयजल एवं सिंचित क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने से यहां के लोगों को अनायाश प्रभाव पडेगा। 15 साल के लिए यहां की जनता को त्रासदी की ओर धकेलना क्या उचित होगा, बताईए। यहां समर्थन का विषय नहीं है यह आपको निर्णय करने का आपको कृषि के क्षेत्र को बनाये रखने के लिए और पेयजल को बनाये रखने के लिए ये कदम उठाना चाहिए। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि कोल माईन्स से गम्भीरता पूर्वक विचार करें। 358 लोगों को क्या रोजगार देगें कितना पेमेंट देगें, कोई रुपरेखा है। मैं आशा करता हूं कि इन सबका आप उचित मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद!
10.	श्री बी.डी. मिश्रा	बिश्रामपुर	मैं आप सब को अवगत कराना चाहूंगा कि बिश्रामपुर के 15 किमी. के परीधि में कम से कम 20 माईन है। जिसमें 03 बडे ओपन कास्ट है और बाकी भूमिगत खदानें है। 1982 में जब बिश्रामपुर को देखा था मात्र 04–05 घर थे वे भी खपरैल के थे लेकिन धीरे–धीरे जैसे माईन का विस्तार हुआ वहां का प्रगति हुई। आज वह छोटा सा गांव नगर बन गया। इसी के पास में रेहर व गायत्री माईन है जहां पर 2004 में मात्र 01 पान का टपरिया था वहां भी माईन का विस्तार हुआ और आज वहां 02 पेट्रोल पम्प, 05–06 बडे किराने की दूकाने है और अन्य दूकानें भी है। मेरे कहने का मतलब जो भी कहीं कोई उद्योग धंधा आता है तो क्षेत्र का विकास निश्चित तौर से होता है। देश के सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सोचते है कि हमारे क्षेत्र में उद्योग आये। उद्योग न आने का विरोध यह डेव्हलपमेंट का विरोध होता है और मैं श्री सीमेंट कम्पनी का स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि श्री सीमेंट कम्पनी आये और यहां का क्षेत्र का पूरा विकास हो। लोगों को रोजगार मिले और यहां के लोग खुशहाल रहें। फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं कि श्री सीमेंट कम्पनी अवश्य स्थापित हो।
11.	श्री ननकूलाल जायसवाल	ग्राम–रांई	मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी कडी में मैं छोटा सा 02 लाईन का कविता सुना रहा हूं (विडियो अनुसार)। इसके बाद

			पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक गीत सुना रहा हूं (विडियो अनुसार)। पांचों ग्राम पंचायत से सामूहिक रुप से प्रतिरोध पत्र बनाये है आपत्ति पत्र बनाये है उसको मैं पढ के सुनाता हूं (लिखित में आवेदन जमा किया गया है)। हम अपनी कास्त की भूमि को नहीं छोडेगें, नहीं छोडेगें। श्री सीमेंट कम्पनी को एन्ट्री नहीं देगें, नहीं देगें। जीवन में चुनौती पार्ट ऑफ लाईफ है। कॉलरी नहीं खुलने देगें, नहीं खुलने देगें। जय हिन्द, जय भारत।
12.	श्री शिव राजवाड़े	ग्राम–कुम्दा बस्ती	मैं अपनी तरफ से इस बात को बोलना चाहता हूं, ये जो दतिमा कोल माईन के नाम से खदान खोला जा रहा है लेकिन आज तक लेकिन बोला जा रहा है कि भारत सरकार के गाईड लाईन के आधार पर खदान खोला जायेगा, लेकिन अभी तक क्या गाईड लाईन है किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई है। किसी को कोई जानकारी है क्या? अभी तक दबा के रखे है और जबरदस्ती धमका के चमका के दवाब देके कुछ लोगों का जमीन भी खरीदा गया है। उसमें दलाल भी इन्वोल्व कर दिया गया है। और जिन लोग बचे हुए है 40–45 एकड कैम्पस खोलने के लिए जमीन चाहिए लेकिन उनमें से कुछ लोग नहीं दिये है उनमें से कुछ जबरदस्ती नोटिस भेजवाकर दबाव दिया जा रहा है। सुबह 11:00 बजे से बुलवाकर 06:00 बजे तक। ऐसा लग रहा था कोई अपराधिक किस्म के लोग है जैसा कोई अपराध कर के आये है। हमारा सुनने वाला प्रजा का सुनने वाला कोई नहीं है। मतलब गुण्डाराज है जैसा हम फिल्मों में देखते है, बस वही चल रहा है यहां। इसलिए हम इस खदान का घोर विरोध करते है। हम नहीं देगें। नहीं देगें। नहीं देगें।
13.	श्री राहुल जायसवाल	ग्रामपंचायत–रांई	आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद जो आपने बताया कि एस.ई.सी.एल. का प्रोसेस आगे बढने वाला है, इसके लिए आप लोगों का बहुत–बहुत धन्यवाद! श्री सीमेंट का प्रोसेस आगे बढने वाला है, इसके लिए आप लोगों का बहुत–बहुत धन्यवाद! मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप लोगा यहां कितने लोगों से यह पूछना चाहते है कि यहां खुलना चाहिए

अपर कलेक्टर
जिला-सूरजपुर

			कि नहीं खुलना चाहिए। आप लोग के तरफ से भी कब आश्वासन मिलेगा कि आम जनता को क्लीयर करके जाये। हम लोग आम जनता के साथ मिलकर यहां पर लड़ाई लड़ेगें और यहां पर खदान नहीं खुलने देगें। और आप सभी को यह बता दूं कि आप जितने भी लोग श्री सीमेंट कम्पनी के बातों में आकर आम पब्लिक को धोखा दे रहें है या उनके समर्थन में बात करने की कोशिश कर रहें है वे सर्तक हो जाये। आम जनता एवं ग्रामवासी एक साईड है। धन्यवाद!
14.	श्री विनय जायसवाल	ग्राम–रांई	पांचों ग्राम पंचायत खदान नहीं खोलने देना चाहते हैं। कम्पनी की ओर से अभी तक कोई नहीं आया कि आप लोग क्या कहना चाहते है। हम लोग ये चाहते है कि दोनो ओर से बात हो। हम सिर्फ बात कर रहे है आप लोग बात ही नहीं कर रहे है। सुन रहे है। आप ही बताये हमारे विचारों का क्या हो रहा है।
15.	श्री नैहर सिंह	ग्राम–कुम्दा बस्ती	हमारे ग्राम पंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि श्री सीमेंट प्रा0लि0 कम्पनी खदान नहीं खुलने का अनुमति ग्राम सभा से हम लोग पारित किये है।
16.	श्री पंकज कुमार राजवाड़े (जनपद सदस्य क्षेत्र क. 5)	ग्राम–दतिमा	जैसा की श्री सीमेंट प्रा0लि0 कम्पनी बोल रहे है कि सारी सुविधा देगें लेकिन आप लोग देख रहे है कि थोडा भी सुविधा नहीं मिला है। जो अभी टेंट लगा है उसमें पानी टपक रहा है तो आगे क्या होगा। बताईये आप ही लोग सुविधा मिल पायेगी क्या? ये सब ढकोसला है। हम इनका विरोध करते हैं।
17.	परवेज अंसारी	ग्राम–दतिमा	सबसे पहले मैं अपना मैसेज सरकार को देना चाहता हूं और कम्पनी को भी देना चाहता हूं। सभी जानते है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिस हिसब से आप बताये है कि हम अण्डरग्राउण्ड खदान खोल रहे है। और आप लोग कह भी रहे है कि आप लोग 500 फीट अन्दर से लेगें। तो जाहिर सी बात है खदान खुलेगी तो पानी का स्तर नीचे जाएगी और जब नीचे जाएगी तो उन लोगों का खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम लोग को यहां से किसी भी स्थिति में छोड़–छाड़ के भागना पड़ जाएगा, जब हम लोग के पास कृषि लायक जमीन बचेगी ही नहीं, हम लोग कहां से खेती कर पाएंगे और यह जो

			छत्तीसगढ़ है जिस एरिया में हम लोग रहते हैं कुल मिल–जुल कर यह कृषि प्रधान देश है पूरा निर्भर कृषि के ऊपर रहते हैं यहां लोग ना किसी ने पर्यावरण के ऊपर ध्यान दिया पशु पक्षी के ऊपर ध्यान दिया इंसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकार ने यहां परमिशन दिया है खदान खोलने के लिए सरकार ने तो दे दिया सरकार ने यह परमिशन तो नहीं दिया होगा कि जाइए दतिमा को कबाड़ बना दीजिए 15 साल यहां खदान खुलेगा 15 साल के बाद दतिमा का क्या हाल होगा दतिमा मोड का हाल या होगा, ना यहां पानी बचेगा ना खेती करने के लिए जमीन बचेगा, ना यहां का मुआवजा का कोई बात चल रहा है, क्या हम देंगे क्या हम लेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ लोग यहां सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं कुछ लोग पट्टा पर बसे हुए हैं उसका घर का क्या होगा कल किसी तरह से धंस जाएगी तो उसका खामियाजा कौन देगा उसका रिक्स लेने के लिए कौन तैयार होगा। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।
18.	श्री बलराम कुमार शर्मा (अधिवक्ता)	ग्राम–दतिमा	मैं अधिवक्ता के हैसियत से नहीं आया हूं यहां पर पैरवी करने मैं भी आपके गांव का नागरिक हूं और मेरी भी यहां भूमि है में रोड पर यह जो चोरी–चोरी लेना चाहते हो जमीन यह लेने नहीं देंगे तो अंग्रेजी में बना कर लाये हो कागज पहले हिंदी में इनको पढ़ाओ उसके बाद अनुमति मांगना हमसे जहां भी अधिकरण हुआ किसानों के साथ धोखा हुआ और बोलते हो कि किसानों का यह देश है चोरी चोरी 27 एकड़ जमीन 20 लाख रुपया एक करके हिसाब से रजिस्ट्री करा लिए हैं किस पूछे थे लेने से पहले भोले भाले गांव वाले को उल्लू मत समझना एक–एक खून का कतरा बहेगा गलत होगा तो हम विकास के पक्षधर हैं लेकिन अपने पूर्वजों के जमीन को गवा कर नहीं याद रखना और आपका जो कृत्य है ना यह आकार के राजस्थान से छत्तीसगढ़ में जो सीधे–साधे लोग हैं उनको चल के ठगना चाहते हो बिल्कुल ठगने नहीं देंगे आप देखिए उनके पास हिंदी में एक दस्तावेज तक नहीं है नहीं होगा और यह जनसुनवाई लगाकर हम लोगों से अनुमति मांगने आए हैं आप

अपर कलेक्टर जिला–सूरजपुर

			अधिग्रहण का मुझे कागज दिखाइए और पढ़ कर बताइए चलिए कोई भी कागज है आपके पास कौन सा नियम बता रहे हो कि नीचे से कोयला निकल लेंगे कौन सा नियम बता रहे हो बताओ चलो निकालो कागज आज एक किसान और वकील अपने बाप की जमीन के लिए आया है पूर्वजों ने जमीन खरीदी खून का पसीना बहाकर और तुम लुटेरे आ गए हम लोग को कोयला निकलने के बहाने। इन जमीनों से जीवन चलता है हमारा तुम्हारे 20 लाख हम तुमको देने के लिए तैयार हैं लेकिन जमीन छोड़ दो हमारी। है कागज हिंदी में । है कागज तो दिखाओ बताइए हिंदी में कागज आपसे अनुरोध है कि अधिक ग्रहण का कागज पूरा हिंदी में दिखाओ सारे कागज हिंदी में दिखाओ तो बात करना जन सुनवाई लगा रहे हो हम हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। **अपर कलेक्टर साहब– है हिंदी में।** सबको दीजिए एक–एक कॉपी हमसे रिसीव करो फिर इसके बाद जनसुनवाई लगाओ अभी जनसुनवाई से पहले हमसे रिसीव करो क्योंकि हम खाता धारक हैं 1229/1और 1229/2, हम पढ़ेंगे उसके बाद आपत्ति होगा तब हम उनको भारत का पूरा विश्व का कानून समझाएंगे अधिग्रहण का क्या पालन होता है खुद के एसईसीएल खड्डा करके रख दिया है, लोगों की जान जा रही है होश में नहीं है कभी मुआवजा नहीं देते हो कभी नौकरी नहीं देते हो तुम्हें किसने को जमीन जा रही है सबसे पहले रिसीव कराइए फिर या कार्यक्रम चलाइए। गलत बोल रहा हूं क्या। सर आप लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं और इनकी भाषा यह लोग बोल रहे है। हमारा दर्द कौन सुनेगा जिसे हम बोलेंगे हम लिख कर देंगे इसका जवाब हम देंगे इसका जवाब हमको समय दीजिए और हमारा नोट करिए आपत्ति आप राजस्थान राजस्थान से आकर लगाएंगे खदान मूर्ख बैठे हैं क्या कोई उद्योग कोई विकास नहीं मानव जिंदा रहेगा तभी चलेगा सब कुछ हमें मुआवजा देने आएंगे तो बोलेंगे तेरा तो कब्जा है तुम छोटे झाड़ जंगल में बसे हो जो जैसा

			बस है वैसा ही मुआवजा देना पड़ेगा मुआवजा जाता है करेंगे हम लोग मैं ₹ 20 लाख एकड़ में नहीं दूंगा मैं बताऊंगा कि रोड में क्या मुआवजा चल रहा है दस्तावेज दीजिए उसके बाद लिखित में आवेदन पूरा की करेंगे मेरा घोर आपत्ति है नोट करिए।जिस अदालत में जाने के लिए आप लोग तैयार हैं उसे अदालत में हम भी जाने के लिए तैयार हैं जय हिंद।
19.	श्री कन्नीलाल राजवाड़े	ग्राम–कुम्दा बस्ती	सर बोले हैं अति ग्रहण के लिए, सरकारी रेट ₹ 4000 है, क्या उससे ज्यादा है, कम होता है ज्यादा होता है हम लोग को ऐसे ही बोला जाता है, एसडीम ऑफिस से हम लोग को नोटिस आया था बोला गया की ₹ 4000 है, ठीक है नहीं तो अधिग्रहण के लिए लगा दो। और हम लोग का घर 10 मीटर दूर है और आप खदान खोलेंगे तो कोयला का डस्ट पूरा घर में घुस जाएगा धूल हो जाएगा नहीं वहां से।
20.	श्री अनूप जायसवाल (नई दुनिया अखबार)	ग्राम–राई	मैं आज यहां जनसुनवाई में उपस्थित हुआ हूं, काफी दिनों पूर्व समाचार पत्र में एक प्रकाशन हुआ था की श्री सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा दतिमा में कॉल खोला जाएगा, यदि उसे अखबार में खबर नहीं छुपी रहती तो आज इस जन इस जनसुनवाई में सभी जनता को पता चलता कि यहां लोग सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। यहां के माइंस के कुछ अधिकारी क्षेत्र के कुछ जनता को कर प्रलोबान लेकर अपने पक्ष में रखकर लगभग सारा प्रोसेस पूरा कर लिए और मेरे को आज भी विश्वास नहीं है कि जितने लोग आज अपना–अपना बात रखे हैं उनका बात राजधानी रायपुर या दिल्ली तक पहुंच पाएगा। अब सभी को जानकारी है कि यहां के क्षेत्रवासी लगभग पांच गांव प्रभावित हो रहा है और पूर्व में आप लोगों के द्वारा फेंसिंग पोल के माध्यम से अपना अधिग्रहण भूमि तय कर ली है, उसके पश्चात आप लोगों को जहां से काम करना शुरू करना है बिना जानकारी दिए आप दबाव वश जमीन खरीद लिए हैं और आप लोगों को अगर लगता होगा कि इस भूमि से हम अपना अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर कहीं भी ले लेंगे तो यह संभव है कि हम वहां भी पहुंच जाएंगे और

अपर कलेक्टर
जिला-सूरजपुर

			खदान के खुलने से जल जीवन काफी ही प्रभावित होगा और हम आपका बात को कैसे माने आप पूरे टीम बाहर से ला करके इतना सक्रिय कर दिए हैं सूरजपुर विश्रामपुर में निवास कर रहे हैं और हमारे भी लोग कुछ लोग हैं मैं उनसे सतर्क कर देना चाहता हूं की कुछ लोग नहीं आ पाए हैं कुछ ही आ पाए हैं बारिश का मौसम था और लगभग मेरे को लग रहा है 70 प्रतिशत लोगों को पता नहीं है की खदान खुलने से कितनी नुकसान होगी हमको भी और आने वाले भविष्य को भी जो दलाली करने में लगे हैं सहयोग करने में लगे हैं उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह है कि कि आप लोग संभल जाइए और यहां वन विभाग के द्वारा काफी जमीन जो कि हमारे अधिकारियों के द्वारा सुरक्षित रखा गया है उसके बाद सरकारी जमीन में भी 60–70 वर्ष से चार–पांच पीढ़ी लोग बसे हुए हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया आप लोगों ने बनाई है और या प्राइवेट कंपनी है उन्होंने थोड़ा भी विश्वास नहीं है कि आप लोग जो बोलेंगे वह करेंगे क्योंकि ऐसे ऐसे खदान ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड कितने खुले हमको लगातार अखबार के माध्यम से पता चलता है की खदान वाले पहले ऐसा बोल या वैसा बोल व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो कलेक्टर के पास रायपुर तो आज प्रबंधक के पास हम लोग अभी से ही सतर्क है हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग आने वाले दिन में हम गुमराह होकर आपको सर सर बोले आप लोग सारा चीज यहां स्पष्ट कर दीजिए- यहां पर स्पष्ट नहीं करेंगे तो हम खदान खुलने नहीं देंगे।
21.	श्री रजत जायसवाल	ग्राम–रांई	मैं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण विभाग का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सबके पर्यावरण के बारे में कार्यक्रम रखा। लोगों का अपना विचार सुनने का मौका दिया इस परिपेक्ष में है मैं एक कहानी सुनना चाहता हूं पर्यावरण के बारे में छोटी सी है लेकिन बहुत मार्मिक है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वीडियो के अनुसार। पर्यावरण संरक्षण क्या प्रति हमारा दायित्व बनता है कि हमको इसका आरक्षण करें मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि पर्यावरण के बारे में मैं हूं जो कि अपनी शादी

अपर कलेक्टर
जिला–सूरजपुर

			में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखा नहीं फोड़वाया था और इसी तरह सब पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें संरक्षण करें इसका दो हम तो कर ही रहे हैं लेकिन पर्यावरण का भी ख्याल रखें यह बहुत आवश्यक है और जहां तक विकास की बात है कोई बिल्डिंग और पक्की रोड और या नाली कोई विकास नहीं होता है मानवीय विकास होना चाहिए लोगों का जो है वह ऊंचा उठ और बाकी तो सांसारिक विकास अलग चीज है यह तो होते रहेगा इतना कह कर मैं अपना बात को बंद करता हूं
22.	श्री सत्यनारायण जायसवाल (पूर्व जिला पंचायत सदस्य)	ग्राम–करंजी	मैं अभी तक यह देखा की श्री सीमेंट कंपनी के पक्ष में 99 प्रतिशत लोग अपोजिशन में बात कर रहे हैं ऐसा क्यों यह सोचने का विषय है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी जहां–जहां जमीन अधिग्रहण हुआ है एसईसीएल वाले किए हैं। प्रकाश इंडस्ट्री वाले इधर आप मोरगा रोड में चल जाइए उनका आप जब स्टेटस जानिएगा खुलने से पहले लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए यह करेंगे वह करेंगे अपन करंट का जो लोकेशन देखते हैं उनका कंपनी खोलने के बाद उसे क्षेत्र में अगर एक पंचर भी बना है तो उसी कंपनी के लोगों द्वारा बनाते हैं तो इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा सही बात है कि नहीं यह सब सोचने का विषय है जैसा कर रहे हो वैसा फल मिल रहा है अगर कंपनी वाले या एसईसीएल वाले क्षेत्र वालों की समस्या आपको सुनते तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होता। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप भविष्य में कोई भी कोयला आवंटन हो तो जनमानस का ध्यान रखते हुए आप लोग भी कंपनी वाले को बोलकर कि आप लोग क्षेत्र वालों के लिए जो जो घोषणा करेंगे उसे अनुरूप अगर आप लोग सहमति मिलता है तो सब जिनका जमीन फस रहा है उनको रोजगार मिले वह वाजीब मुआवजा मिले ऐसा सभी प्रावधान रखकर काम करें इतना कह कर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। मेरा प्रतिष्ठान लक्ष्मणपुर ग्राम में, हमारे यहां दो–दो इंटरलॉक मशीन है कम से कम इस क्षेत्र में 40 से 50

अपर कलेक्टर
जिला–सूरजपुर

			लोगों को पर डे मैं नौकरी देता हूं, मेरा पेट्रोल पंप का, वहां पर ये सब इसी क्षेत्र में आता है, तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से व्यवसाय भी प्रभावित हो। इस क्षेत्र में चार-चार राइस मिल है, की आने वाले समय में मैं देख रहा हूं औद्योगिक नगर टाइप से बसने जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद!
23.	श्री रामानंद जायसवाल	ग्राम-झूमरपारा	मैं रामानंद जायसवाल, मैं हूं तो झूमर पारा का लेकिन मेरा लक्ष्मणपुर में भी जमीन है और मैं किसान हूं। कलेक्टर महोदय लगभग लगभग तो सुनवाई पूरी हो चुकी है सारे के सारे लोगों का यह मंशा है कि श्री सीमेंट को खदान खोलने नहीं देंगे। क्यों भाई जी हाथ उठाकर बोलिए सभी लोग, तो अब आगे इसको बढ़ाने कोई फायदा नहीं है जन सुनवाई को और श्री सीमेंट के जो प्रतिनिधि है वह आकर बताएं कि यह सुनवाई के विरुद्ध में क्या अपना पक्ष रखते है। इसके बाद फाइनल जो भी होगा उसका अगला डेट (दिनांक) निश्चित होगा। तब सब लोग मानेंगे, ठीक है ना। आप लोग आकर बताइए कि जो यहां पर जितना भी विषय आया है उस विषय के काट में आप लोग के पास, समस्या के निदान के लिए है, उसके बाद आगे की कारवाई किया जाएगा। धन्यवाद! सारे लोग हाथ उठाकर आपत्ति किये है कि श्री सीमेंट को खदान खुलने नहीं देगें।खदान खुलता है तो हमारा मंशा है कि लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा आप एक-एक दाना के लिए तरसेगें, आने वाले समय में हमारा जो पीढ़ी है खदान खोलकर तो आप 15 साल यहां से रफू-चक्कर हो जाएंगे हमारा आने वाला समय हमारा जो बाल बच्चा होंगे वह क्या खाएंगे किसी से ही तो सारे लोगों का खाना पीना होता है।
24.	श्री शोभनाथ राजवाडे (पूर्व उपसरपंच)	ग्राम-कुम्दा बस्ती	देखिए वो बोलते है ना, जो दूध से जला हुआ बच्चा दही को भी फुक-फुक कर पीता है। तो हम लोगों के लिए एसईसीएल या श्री साइन सीमेंट कंपनी कोई नया नहीं है अभी जहां पर बैठे हैं वहां से डेढ़ किलोमीटर की दूरी में एसईसीएल खदान संचालित है 1990 से और उसमें भी यही नियम सारा शर्त लागू था कि हम लोग पूरा गांव का सुविधा का ध्यान रखेंगे शिक्षा का ध्यान रखेंगे स्कूल बच्चे सारे चीज

			का ध्यान रखेंगे मगर गांव वाले सब हाथ खड़े करके बताएं कि कितना लाभ मिल रहा है प्रभावित ग्राम वासियों को SECL के माध्यम से कितना लाभ मिल रहा है। गांव में सड़क बना, स्कूल बना, अस्पताल बना, पेयजल के व्यवस्था बना, यहां पर पोखरी खदान है वहां पर डेढ़ सौ फीट से भी ज्यादा पानी है हम लोग पिछले 10 15 सालों से CSR मद से वॉटर लिफ्टिंग के माध्यम से कितने बार चक्कर लगाए और उसका एस्टीमेट भी बन चुका है मगर जो पानी आज तक हम लोगों के गांव में नहीं कराया गया अब पोखरी को करने के लिए छोड़ दिया गया है ताकि अगर वह गड्ढे में गिर कर मर रहे है जबकि उसे नियम में है कि उसको समतलीकारण करना है उसके बाद जो मुआवजा है जो भू विस्थापित है उनको नौकरी दिया जाएगा आज किसी का 20 एकड़ गया 10 एकड़ गया। एक आदमी नौकरी कर रहा है। लोग धोखा खा चुके हैं ऐसा नहीं है कि यहां कोई नया चीज आ रहा है कोई देखा नहीं है सब देखे हैं जो कहते हैं वह कोई नहीं करता है नहीं तो आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास के साथ होते। इसीलिए नहीं हो रहे हैं कि आज तक एक काम भी बता दें हैंड पंप का व्यवस्था हो या रोड का व्यवस्था हो शिक्षा का व्यवस्था हो कोई व्यवस्था नहीं किया गया है पहले तो सारा चीज बोले लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो एसईसीएल में ड्यूटी करते हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए जो स्कूल बस का संचालन वह भी रोक दिया जाता है हड़ताल करने के बाद चालू होता है इससे दुर्गति क्या होगी इसीलिए आप लोगों के समक्ष 100 परसेंट लोगों का आसहमति आ चुका है यहां जनता नाराज है इसलिए आज विकास के साथ नहीं है यहां जो वादा करके जनता को मुर्ख समझती है। ओपन कास्ट में जो डेढ़ सौ फीट गहरी पानी है उसको वाटर लिफ्टिंग के माध्यम से नहीं दे पा रही है तो अंडरग्राउंड में हमारा बोरवेल कुआं सुख जाएगा तो उसकी क्या गारंटी है घर भी गिरेगा। बाकी जो कंपनी का सिस्टम है जो

अपर कलेक्टर जिला-सूरजपुर

			उपयोग करने के बाद उसे जमीन को उपजाऊ बनाने के बाद उसी किसान को स्वत वापस कर दिया जाता है मगर यहां तो भूमि का रजिस्ट्री हो रहा है उसमें तो किसान कोई जा भी नहीं सकते है।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर सूरजपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण/जवाब हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से **श्री सुनील देशमुख** द्वारा प्रस्तावित परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु उपस्थित जन समुदाय को मौखिक रूप से अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया जो निम्नानुसार है :—

इस जनसुनवाई में आप सभी ने उपस्थित होकर जो सुझाव दिए हैं, जो समर्थन दिए हैं, जो आपने टीका टिप्पणी किए हैं, जो आपत्तियां दर्ज किए हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं। मैंने देखा मेरे भाइयों के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि हम सभी नियमों को पालन कर रहे हैं, कि नहीं, तो मैं सर्वप्रथम इस बात पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालना चाहूंगा कि श्री सीमेंट को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जून 2023 को दातिमा कोल ब्लॉक आवंटित किया गया था। यह गवर्नमेंट के खनन मंत्रालय में आवंटित करने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है सभी प्रकार के अनुमतियां लेना उसमें सर्वप्रथम चरण आता है पर्यावरण स्वीकृति लेना। उस पर्यावरण स्वीकृति के लिए सर्वप्रथम भारत सरकार, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सर्वप्रथम पर्यावरण स्वीकृति लेना होता है। हमने भारत सरकार, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एप्लीकेशन किया, उसके बाद एक एनवायरनमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट बनता है जिसमें हम पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रबंधन योजना, इसके जारी हुआ टी.ओ.आर. के अंदर में लिखित स्टडी करने के लिए क्या—क्या करना चाहिए और इस प्रक्रिया मे एक प्रक्रिया जनसुनवाई का था, पर्यावरण प्रभाव आंकलन में पर्यावरण प्रबंधन का जो सारांश है, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा था, कि इसकी कॉपी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के बेवासाईट पर भी उपलब्ध है। जनसुनवाई शुरू होने के पहले डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया गया था। परियोजना को संपूर्ण हिंदी भाषा में और संपूर्ण हिंदी में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन करके जनता को पर्यावरण परियोजना क्या है हमने उसके बारे में बताया है। साथ में और पर्यावरण के क्या—क्या मुद्दे होंगे, इनके संबंध में हम क्या करेंगे, इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे, और पर्यावरण में जो एनवायरनमेंट के मुद्दे होंगे उसका निराकरण करने के लिए हम क्या करेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी हमारे जो पर्यावरण विशेषज्ञ है उनके द्वारा दी गई है। इसके बाद यहां पर जो मुद्दे उपस्थित हुए हैं उसके बारे में सर्वप्रथम में बताता हूं ये जनसुनवाई के बाद में जो पर्यावरण मंत्रालय से एनवायरमेंटल क्लीयरेंश मिलेगा उसके बाद में छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मंडल से सीटीओ और ये दोनों अप्रूवल के अंदर में जो–जो कंडीशन हमको दी जाएगी। जो नियमों का पालन करने के लिए हमको बोला जाएगा, उन सभी नियमों का पालन करने के लिए श्री सीमेंट कंपनी प्रतिबद्ध है। आप अपने मन में कोई शंका न रखें सभी नियमों का पालन करके ही खनन प्रक्रिया करेंगे। उसके नियमों का हम पालन कर रहे हैं। नियमों का पालन कर रहे हैं, कि नहीं कह रहे हैं उसके लिए सरकार अपने–अपने कमेटी भेजती है। पर्यावरण मंत्रालय से भी अधिकारी आते हैं एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से भी आते हैं। पर्यावरण संरक्षण मंडल से भी उसकी पूरी तरीके से निरीक्षण किया जाता है, निगरानी की जाती है, इस बात को इंश्योर किया जाता है कि यह परियोजना नियमों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। और एक मुद्दा जो सबके मन में बार–बार आ रहा था, जल स्रोतों का और जमीन नीचे जाने की बात कही गई है। हम लोगों ने जो पर्यावरण आकलन किया है इसके अंदर में जो जियोलॉजी रिपोर्ट बनाई गई है, उसके अनुसार उसका रिपोर्ट अपने समय पर्यावरण मंत्रालय को सबमिट करेंगे। हमारी जो प्रक्रिया है 55 मीटर से 147 मीटर तक हम काम करेंगें, इसमें इसके अंदर में हमारे जो 55 मीटर है और जो सरफेस है उसके अंदर से सैल नामक परत होती है, परत की वजह से जमीन का जो सब्सीडेंस जमीन के नीचे जाने की आशंका बहुत कम है। स्टडी में पाया गया जो मुद्दा आ रहा था जमीन नीचे जाएगी, तो हम बताएंगे कि खनन और अनुसंधान संस्थान धनबाद उनके साईंटिस्ट ने पूरी स्टडी की है, और इसके अंदर रिपोर्ट में पाया गया है, कि इसका एक मानक है जो कि 3 मी टेन टाइम्स डेंस स्ट्रैंथ बोलते हैं उसको अब इसे हिंदी में समझाना बहुत मुश्किल है लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये जो हमारा खनन प्रक्रिया है 3 मी ईपीएम के नीचे से है तो स्टडी से पाया गया कि इसका सब्सिडेंस जमीन नीचे धंसने की संभावना बहुत कम है तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए इसके अंदर में जो भी सजेशन दिए जाएंगे उसमें सजेशन भी होते हैं कि आपको किस तरह से खनन करना चाहिए और डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी जो धनबाद की है वह उनके जो दिशा निर्देश होते हैं उसके अकॉर्डिंग माइंस खनन प्रक्रिया की जाती है और यह सब रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट को सबमिट की जाती है जहां उनके अंदर में एक्सपर्ट अप्राईजल समिति होती है। वह रिव्यू करके उसके अंदर में जो कंडीशन दी जाती है उसका पालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और यह बंधनकारी होता है। यह सभी इंडस्ट्रीज के लिए बंधनकारी होता है जो कि पूरा ध्यान रखा गया है। पूरे परियोजना के अंतर्गत में दूसरा बात आ रही थी कि इस परियोजना के तहत सीएसआर के माध्यम से क्या करेंगे और और हम सिर्फ वादा करेंगे या वादे करके निकल जाएंगे या उसका पालन करेंगे या नहीं करेंगे इंश्योर कैसे करेंगे कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम बता रहे हैं कि श्री सीमेंट एक गणमान्य कंपनी है और हमारा श्री सीमेंट फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हम हमारा श्री सीमेंट ट्रस्ट के फाउंडेशन उसके माध्यम से हम सिर्फ इसी जगह ही नहीं पूरे भारत के अनेक जगहों पर जहां पर हमारे फैक्ट्री और माइंस हैं वहां ट्रस्ट के माध्यम से सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, आधारभूत संरचना, विकास कल्याण, इन मुद्दों के ऊपर सीएसआर के तहत काम करेंगे। इस जनसुनवाई के अंदर में जो आपने टीका टिप्पणी दिए सुझाव दिए सजेशन दिए इसे ध्यान में रखते हुए सीएसआर का एक प्लान बनाते हैं। और यह सीएसआर का प्लान जो पर्यावरण आंकलन का रिपोर्ट मे है जिसके लिए जनसुनवाई हो रही है

अपर कलेक्टर जिला-सूरजपुर

इसमें हम उसको इनकॉरपोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ इंवारोमेंट को सबमिट करते हैं और आज आप देखते हैं जितने भी एनवायरमेंट क्लीयरेंस और पर्यावरण स्वीकृतियां मिल रही हैं उस पर एनवायरमेंटल क्लीयरेंस कंडीशन में हम क्या करना चाहते हैं वह लिखित में आता है उसके अंदर में हमको जो बताया गया है उसका हम पूरा पालन करेंगे और जो क्लीयरेंस के अंदर में जो कंडीशन लिखा गया है उसका पूरा पालन करेंगे और इसका निरीक्षण मिनिस्ट्री आफ एनवायरमेंट एण्ड फॉरेस्ट फॉरेस्ट सिक्स मंथली करती है। दूसरी एक बात आई थी कि इस परियोजना के अंतर्गत रोजगार कितना मिलेगा हम बता रहे हैं कि जैसे शुरुआत में प्रेजेंटेशन के दौरान बताया गया था कि परियोजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से 358 लोगों को रोजगार मिलेगा जिसके लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, उनको हम प्राथमिकता देंगे, उनकी आवश्यकता एवं स्किल के आधार पर प्राथमिकता देंगे और जो पर्यावरण जल प्रदूषण वायु प्रदूषण के बारे में बात कही गई थी तो उसका डिटेल आंसर हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में शुरुआत में दिया गया था मुझे लगता है कि मैं सभी मुद्दों के ऊपर बात किया है, धन्यवाद।

कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर के पत्र क्र. 104, दिनांक 17/06/2017 के माध्यम से **146** लिखित आपत्ति/सुझाव/विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई। लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में **17** आपत्ति/सुझाव/विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोकसुनवाई के दौरान कुल **24** व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति/सुझाव/विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदायों मे से कुल **00** लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही का वीडियोग्राफी कराई गई।

तत्पश्चात् अपर कलेक्टर, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोकसुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हुये दोपहर 02:00 बजे लोकसुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)